न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध)
कानपुर नगर।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2876/2026
UPKN010080202026

साहिल अरोड़ा उर्फ साहिल दुआ, उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी मकान नंबर 296/11, कालूराम हलवाई लेन, थाना सदर गोहाना, सोनीपत, हरियाणा।

----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

--- अभियोजन पक्ष

जमानत आदेश

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त साहिल अरोड़ा उर्फ साहिल दुआ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 272/2026, धारा 69, 316(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत कर, उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि पीड़िता सावित्री देवी की पहचान अभियुक्त साहिल अरोरा से जनवरी 2026 में जीवनसाथी.कॉम से हुयी थी। तदोपरांत अभियुक्त 18 जनवरी को कानपुर आया और शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और कई बार संबंध बनाये। यह कि अभियुक्त ने पीड़िता को विश्वास में लेकर व पीड़िता के दस्तावेज लेकर 1,29,000/–रुपये, 83,000/– रुपये व 42,000/– रुपये के तीन लोन लिये तथा इसके अतिरिक्त 55,000/– रुपये उधार भी लिये। यह कि अभियुक्त ने पीड़िता के बैंक खाते की डिटेल अपने पास रखवा ली तथा पीड़िता के विश्वास का फायदा उठाकर, उसके बैंक खाते से कई अनैतिक गतिविधियाँ की जिससे पीड़िता का बैंक खाता बंद हो गया है। शादी के लिए कहने पर अभियुक्त ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित थाना कल्यानपुर पर अभियुक्त साहिल अरोरा के विरुद्ध धारा 69, 316(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 272/2026 दिनांक 10.05.2026 को रात्रि 18:12 बजे पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपनिरीक्षक इतेन्द्र कुमार के सुपुर्द की गयी। विवेचना के क्रम में पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान अंकित कराये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान अंकित कराये गये। अन्य साक्ष्य संकलित किये गये। तमामी विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 69, 316(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुए, आरोप पत्र विचारणार्थ न्यायालय प्रेषित किया गया, जो कि बाद प्रसंज्ञान सत्र सुपुर्द किया गया।

3– संक्षेप में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवयानी विलतकर के माध्यम से, शपथपत्र से समर्थित जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे अभियोग उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। यह की पक्षों के मध्य संबंध सहमति आधारित रहे हैं और संबंधों में खटास आने के उपरांत, अभियोजन द्वारा उसे आपराधिक रंग दिया गया है। यह कि अपराध के संबंध में विनिर्दिष्ट तिथियों व परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कि कथित अपराध दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, जिस हेतु आवेदक/अभियुक्त की अभिरक्षा आवश्यक नहीं है। यह की पीड़िता द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है। यह कि वह अपनी जमानत देने के तैयार है तथा जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4– उपरोक्त का विरोध थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या के आधार पर करते हुये विद्वान सहायक

जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया गया है तथा दस्तावेज लेकर उसके खाते से लोन कराया गया व 55,000/– रुपये की नगद धनराशि ऐंठकर धोखाधड़ी की गई है, जिससे संबंधित पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। जमानत पर रिहा किए जाने पर वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करेगा, साक्ष्य प्रभावित करेगा तथा समय से न्यायालय उपस्थित नहीं होगा। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना अभियोजन द्वारा की गयी है।

5– सुना गया। जमानत पत्रावली, संबंधित सत्र वाद पत्रावली व थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया गया है।

6– सत्रवाद पत्रावली पर उपलब्ध रिमाण्ड प्रपत्रों के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना दर्शित होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरोध पीड़िता को शादी का झांसा देकर, मैथुन करने, आपराधिक न्यासभंग करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे अभियोग उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। जबकि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से पीड़िता का परिपक्व समझवाली 35 वर्षीय वयस्क महिला होना दर्शित होता है। पक्षों का मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से जनवरी 2026 से रिलेशनशिप में होना भी दर्शित होता है। पत्रावली पर पीड़िता के विरुद्ध यौन हिंसा का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र किता किए जाने के उपरांत उस पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा मामला सत्र सुपुर्द किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं होता है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 272/2026, धारा 69, 316(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त साहिल अरोड़ा उर्फ साहिल दुआ का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2876/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु० 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

2– आदेश की एक प्रति, SMWP (CRIMINAL) No. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.01.2023 के क्रम में जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर नगर को जरिये ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

दिनांक– 04.08.2026

(राकेश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध),
कानपुर नगर।
आई०डी० UP1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2026.08.04 17:03:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court